अधिसूचना

नई दिल्ली, 17 फरवरी, 2021

का.आ. 742(अ).—केंद्रीय सरकार, आय-कर अधिनियम, 1961 (1961 का 43) की धारा 143 की उपधारा (3ख) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, भारत सरकार, वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग), केंद्रीय प्रत्यक्ष कर बोर्ड की अधिसूचना, जो भारत के राजपत्र, असाधारण सं. का.आ. 3265(अ), तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी, में निम्नलिखित संशोधन करती है, अर्थात् :--

1. उक्त अधिसूचना में,--

(1) खंड (1) में,-

(i) मद क के पैरा (1) के स्थान पर निम्नलिखित पैरा रखा जाएगा, अर्थात् :--

"(1) इस स्कीम के अधीन निर्धारण निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात् :--

(i) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारिती पर अधिनियम की धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन सूचना की तामील करेगा ;

(ii) निर्धारिती खंड (i) में निर्दिष्ट सूचना की प्राप्ति की तारीख से 15 दिन के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को अपना प्रत्युत्तर फाइल कर सकेगा ;

(iii) जहां निर्धारिती ने--

(क) अधिनियम की धारा 139 के अधीन या धारा 142 की उपधारा (1) या अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) या अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में आय की अपनी विवरणी प्रस्तुत की है ; और यथास्थिति, निर्धारण अधिकारी या विहित आय-कर प्राधिकारी द्वारा धारा 143 की उपधारा (2) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है ; या

(ख) निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी सूचना के प्रत्युत्तर में आय की अपनी विवरणी प्रस्तुत नहीं की है ; या

(ग) धारा 148 की उपधारा (1) के अधीन आय की अपनी विवरणी प्रस्तुत नहीं की है और निर्धारण अधिकारी द्वारा धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन कोई सूचना जारी की गई है ;

राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारिती को संसूचित करेगा किइस स्कीम के अधीन उसके मामले में निर्धारण पूरा किया जाएगा ;

(iv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र इस स्कीम के अधीन ई-निर्धारण के प्रयोजनों के लिए, चयनित मामले को किसी स्वचालित आवंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र में विनिर्दिष्ट निर्धारण यूनिट को समनुदेशित करेगा ;

(v) जहां मामला, निर्धारण यूनिट को समनुदेशित कर दिया जाता है, वहां निर्धारण यूनिट निम्नलिखित के लिए राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को अनुरोध कर सकेगा,--

(क) निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से ऐसी अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य प्राप्त करना, जो यह विनिर्दिष्ट करे ;

(ख) सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन करना ; और

(ग) तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता प्राप्त करना ;

(vi) जहां निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति से अतिरिक्त जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने का कोई अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, निर्धारण यूनिट द्वारा अध्यपेक्षित जानकारी, दस्तावेज या साक्ष्य अभिप्राप्त करने के लिए निर्धारिती या किसी अन्य व्यक्ति को समुचित सूचना या अध्यपेक्षा जारी करेगा ;

(vii) यथास्थिति, निर्धारिती या कोई अन्य व्यक्ति खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना के संबंध में अपना प्रत्युत्तर उसमें विनिर्दिष्ट समय के भीतर या इस संबंध में किसी आवेदन के आधार पर विस्तारित समय के भीतर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा ;

(viii) जहां सत्यापन यूनिट द्वारा कतिपय जांच या सत्यापन कराने के लिए कोई अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध किसी स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र मेंराष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा सत्यापन के लिए समनुदेशित किया जाएगा ;

(ix) जहां तकनीकी यूनिट से तकनीकी सहायता प्राप्त करने के लिए कोई अनुरोध, निर्धारण यूनिट द्वारा किया गया है, वहां अनुरोध किसी स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से, किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा किसी तकनीकी यूनिट को समनुदेशित किया जाएगा ;

(x) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र सत्यापन यूनिट या तकनीकी यूनिट से खंड (viii) या खंड (ix) में निर्दिष्ट अनुरोध पर आधारित, प्राप्त रिपोर्ट को संबद्ध निर्धारण यूनिट को भेजेगा ;

(xi) जहां निर्धारिती, खंड (vi) में निर्दिष्ट सूचना या अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (1) के अधीन जारी किसी सूचना या अधिनियम की धारा 142 की उपधारा (2क) के अधीन जारी किसी निदेश का अनुपालन करने में असफल रहता है, तो राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र ऐसे निर्धारिती पर अधिनियम की धारा 144 के अधीन, सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय पर हेतुक उपदर्शित करने का अवसर देते हुए सूचना की तामील करेगा कि उस मामले में अपने सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार निर्धारण क्यों ने पूरा किया जाना चाहिए ;

(xii) निर्धारिती, खंड (xi) में विनिर्दिष्ट सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या इस संबंध में किसी आवेदन के आधार पर विस्तारित समय के भीतर अपना प्रत्युत्तर राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को प्रस्तुत करेगा ;

(xiii) जहां निर्धारिती, सूचना में विनिर्दिष्ट समय के भीतर या विस्तारित समय, यदि कोई हो, के भीतर खंड (xi) में निर्दिष्ट सूचना का प्रत्युत्तर फाइल करने में असफल रहता है तो राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र निर्धारण यूनिट को ऐसी असफलता की संसूचना देगा ;

(xiv) निर्धारण यूनिट, अभिलेख पर उपलब्ध सभी सुसंगत सामग्री पर विचार करने के पश्चात्, लिखित में एक प्रारूप निर्धारण आदेश देगी या ऐसी दशा में, जहां खंड (xiii) में निर्दिष्ट सूचना राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र से प्राप्त होती है, अपने सर्वोत्तम विवेक बुद्धि के अनुसार या तो आय या उसके द्वारा संदेय राशि या उसको प्रतिदेय राशि को उसके विवरणी के अनुसार स्वीकार करते हुए या ऐसी आय या राशि में फेरफार करते हुए लिखित में एक प्रारूप आदेश देगी और ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xv) निर्धारण यूनिट, प्रारूप निर्धारण आदेश करते हुए उसके द्वारा आरंभ की गई शास्ति कार्यवाहियों, यदि कोई हों, के ब्यौरे उपलब्ध कराएगी ;

(xvi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, बोर्ड द्वारा विनिर्दिष्ट जोखिम प्रबंधन रणनीति के अनुसार प्रारूप निर्धारण आदेश की जांच करेगा, जिसके अंतर्गत एक स्वचालित जांच उपकरण सम्मिलित है, तदनुपरांत वह,--

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार ऐसी दशा में, जहां निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई फेरफार प्रस्तावित नहीं है, और ऐसे आदेश तथा शास्ति कार्यवाहियों को आरंभ करने की सूचना, यदि कोई हो, की एक प्रति की तामील निर्धारिती को, मांग नोटिस के साथ-साथ, ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धरिती द्वारा संदेय राशि या उसे किसी शोध्य रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए, निर्धारण को अंतिम रूप देने ; या

(ख) ऐसी दशा में, जहां निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई फेरफार प्रस्तावित नहीं है उसे कारण बताओ सूचना की तामील करते हुए कि क्यों न प्रस्तावित फेरफार किया जाए, निर्धारिती को एक अवसर प्रदान करने ; या

(ग) किसी एक क्षेत्रीय ई-निर्धारण केंद्र में किसी पुनर्विलोकन यूनिट के लिए प्रारूप निर्धारण आदेश को किसी स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से ऐसे आदेश का पुनर्विलोकन करने के लिए समनुदेशित करने,

का विनिश्चय कर सकेगा ;

(xvii) पुनर्विलोकन यूनिट, उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र द्वारा निर्दिष्ट प्रारूप निर्धारण आदेश का पुनर्विलोकन करेगी, तदनुपरांत वह,--

(क) प्रारूप निर्धारण आदेश से सहमत होने और ऐसी सहमति के बारे में राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को संसूचित करने ; या

(ख) प्रारूप निर्धारण आदेश में, ऐसे फेरफार का सुझाव देने, जो वह उचित समझे और सुझावों को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र भेजने,

का विनिश्चय करेगी ;

(xviii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, पुनर्विलोकन यूनिट की सहमति प्राप्त होने पर, यथास्थिति, खंड (xvi) के उपखंड (क) या उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ;

(xix) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, पुनर्विलोकन यूनिट से फेरफार के लिए सुझाव प्राप्त होने पर मामले को उस निर्धारण यूनिट , जिसने प्रारूप निर्धारण आदेश तैयार किया है, से भिन्न किसी अन्य निर्धारण यूनिट को किसी स्वचालित आबंटन प्रणाली के माध्यम से समनुदेशित करेगा ;

(xx) निर्धारण यूनिट, पुनर्विलोकन यूनिट द्वारा सुझाए गए फेरफार पर विचार करने के पश्चात्, अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश को राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xxi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर, यथास्थिति, खंड (xvi) केउपखंड (क) या उपखंड (ख) में अधिकथित प्रक्रिया का अनुसरण करेगा ;

(xxii) निर्धारिती, उस दशा में, जहां हेतुक उपदर्शित करने की सूचना खंड (xvi) के उपखंड (ख) के अधीन उस पर तामील की गई है, राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को सूचना में विनिर्दिष्ट तारीख और समय को या उससे पूर्व या इस निमित्त आवेदन के आधार पर, ऐसे समय के भीतर, जो विस्तारित किया जा सके, प्रत्युत्तर दे सकेगा ;

(xxiii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र,--

(क) उस दशा में, जहां खंड (xxii)के अनुसार हेतुक उपदर्शित करने की सूचना का कोई प्रत्युत्तर प्राप्त नहीं होता है,--

(अ) ऐसे मामले में, जहां प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश किसी पात्र निर्धारिती के संबंध में है और जो कोई फेरफार करने का प्रस्तावकरता है, जो ऐसे निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला है, ऐसे निर्धारिती को प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश भेजेगा ; या

(आ) किसी अन्य मामले में, प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार ऐसी दशा में, जहां निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई फेरफार प्रस्तावित नहीं है, और ऐसे आदेश तथा शास्ति कार्यवाहियों को आरंभ करने की सूचना, यदि कोई हो, की एक प्रति की तामील निर्धारिती को, मांग नोटिस के साथ-साथ, ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धरिती द्वारा संदेय राशि या उसे किसी शोध्य रकम के प्रतिदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए, निर्धारण को अंतिम रूप देगा ;

(ख) किसी अन्य दशा में, निर्धारिती द्वारा दिए गए प्रत्युत्तर को निर्धारण यूनिट को भेजेगा ;

(xxiv) निर्धारण यूनिट, खंड (xxiii) के उपखंड (ख) में यथा-निर्दिष्ट निर्धारिती द्वारा प्रस्तुत प्रत्युत्तर पर विचार करने के पश्चात्, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश करेगी और उसे राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगी ;

(xxv) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश प्राप्त होने पर,--

(क) पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश में प्रस्तावित फेरफार की दशा में, जो प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश की तुलना में निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला नहीं हैं, और-

(अ) किसी पात्र निर्धारिती के संबंध में पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश की दशा मेंऔर प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश में प्रस्तावित ऐसे निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल प्रभाव डालने वाला कोई फेरफार है तो ऐसे पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश को ऐसे निर्धारिती के पास भेजेगा ;

(आ) अन्य मामले में, ऐसे निर्धारण के आधार पर निर्धारिती ऐसे संदाय को या किसी शोध्य रकम के प्रतिसंदाय को विनिर्दिष्ट करते हुए मांग नोटिस के साथ निर्धारिती पर शास्ति प्रक्रिया आरंभ करने के लिए, यदि कोई हो, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा और आदेश तथा सूचना की एक प्रति तामील कराएगा ;

(ख) पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश में प्रस्तावित फेरफार की दशा में, प्रारूप प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश की तुलना में निर्धारिती के हित पर प्रतिकूल

प्रभाव डालने वाला है तो निर्धारिती को हेतुक उपदर्शित करने के लिए कोई सूचना तामील करते हुए कि क्यों न प्रस्तावित फेरफार किया जाए, सुनवाई का अवसर प्रदान करेगा ;

(xxvi) खंड (xxiii),खंड (xxiv) और खंड (xxv) में अधिकथित प्रक्रिया, खंड (xxv) के उपखंड (ख) में निर्दिष्ट सूचना यथावश्यक परिवर्तन सहित लागू होगी ;

(xxvii) जहां प्रारूप निर्धारण आदेश या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश या पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश खंड (xxiii) के उपखंड (क) की मद संख्या क या खंड (xxv) के उपखंड (क) की मद संख्या क के अनुसार पात्र निर्धारिती को भेजा जाता है, ऐसा निर्धारिती अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर अपनी फेरफार की स्वीकृति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को फाइल करेगा ;

(xxviii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र,-

(क) खंड (xxvii) के अनुसार स्वीकृति की प्राप्ति पर ; या

(ख) यदि कोई आक्षेप अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (2) में विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर प्राप्त निर्धारिती से पात्र नहीं होता है,

तो वह अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (4) के अधीन अनुज्ञेय समय के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देगा और ऐसे आदेश की प्रति और शास्ति प्रक्रिया को आरंभ करने की सूचना, यदि कोई हो, पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा और आदेश तथा सूचना की एक प्रति तामील कराएगा ;

(xxix) जहां पात्र निर्धारिती अपना आक्षेप विवाद समाधान पैनल को फाइल करता है, तो राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों की प्राप्ति पर ऐसे निदेशों को संबद्ध निर्धारण यूनिट को भेजेगा ;

(xxx) निर्धारण यूनिट, अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (5) के अधीन विवाद समाधान पैनल द्वारा जारी निदेशों की अनुरूपता में अधिनियम की धारा 144ग की उपधारा (13) के अनुसार प्रारूप निर्धारण आदेश तैयार करेगा और ऐसे आदेश की एक प्रति राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र को भेजेगा ;

(xxxi) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र खंड (xxx) में निर्दिष्ट प्रारूप निर्धारण आदेश की प्राप्ति पर अधिनियम की धारा 144ग कीउपधारा (13) के अधीन अनुज्ञात समय के भीतर निर्धारण को अंतिम रूप देगा और शास्ति प्रक्रिया आरंभ करने के लिए, यदि कोई हो, ऐसे आदेश और सूचना की एक प्रति पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश के अनुसार निर्धारण को अंतिम रूप देगा और आदेश तथा सूचना की एक प्रति तामील कराएगा ;

(xxxii) राष्ट्रीय ई-निर्धारण केंद्र, निर्धारण के पूर्ण होने के पश्चात्, अधिनियम के अधीन यथापेक्षित ऐसे क्रियाकलाप के लिए उक्त मामले में अधिकारिता रखने वाले निर्धारण अधिकारी को मामले के सभी इलेक्ट्रानिक अभिलेख अंतरित करेगा।"

(2) मद ख के उपपैरा (2) की,-

(i) पहली पंक्ति में, "उपांतरण" शब्द के स्थान पर "फेरफार" शब्द रखा जाएगा ; और

(ii) पहली और दूसरी पंक्ति में, "प्रारूप निर्धारण आदेश" शब्दों के पश्चात् "या अंतिम प्रारूप निर्धारण आदेश या पुनरीक्षित प्रारूप निर्धारण आदेश" शब्द अंत:स्थापित किए जाएंगे ।

2. यह अधिसूचना राजपत्र में प्रकाशन की तारीख से प्रवृत्त होगी ।

(अधिसूचना सं. 7 /2021/फा. सं. 370149/154/2019-टीपीएल]

अंकित जैन, अवर सचिव

टिप्पण : मूल अधिसूचना, भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग II, खंड 3, उपखंड (ii) में अधिसूचना सं. का.आ. 3265(अ), तारीख 12 सितंबर, 2019 द्वारा प्रकाशित की गई थी ।